

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 881/2023
अनवान : -

1. रविन्द्र कुमार पुत्र दयाराम जाति सुथार (जांगिड़ ब्राह्मण) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 के खाता संख्या 129/137 के खसरा नं. 98/2 की कुल 6.3880 है० भूमि में से 533/6388 हिस्सा व खाता संख्या 49/39 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 16.2420 है० भूमि में से 1/18 हिस्सा एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 51/46 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है० भूमि व खाता संख्या 49/44 के कुल खसरे 84 की कुल तादादी 16.1920 है० भूमि में से 1619/8096 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक भूराराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड।

वादी के दादा भूराराम पुत्र मनीराम का दिनांक 02.12.2023 को स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के दादा ने अपने जीवन काल में दिनांक 23.12.2013 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार उपरोक्त चारों खातों की भूमि अपने पौत्र रविन्द्र पुत्र दयाराम पौत्र भूराराम जाति जाति सुथार (जांगिड़ ब्राह्मण) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वादी के दादा भूराराम पुत्र मनीराम की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह कुरड़ाराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर व दीपचन्द पुत्र फरसाराम जाति मेघवाल निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किये थे वसीयत मजमून डीड राईटर सुभाष शर्मा नोहर द्वारा तैयार करवाया गया था और उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक एम.सी. बांकोलिया नोहर द्वारा दिनांक 23.12.2013 को तस्दीक की गई थी। वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नहीं है तथा उक्त वसीयत भूमि वसीयतकर्ता की स्वयं की



पैदा कर्ता वरूवे बैयनामा खदीदशुदा है। वसीयतकर्ता भूराराम पुत्र मनीराम के देहान्त के बाद मुताबिक वसीयत वसीयतग्रहरण कर्ता वादी काबिज चला आ रहा है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री कुरड़ाराम व दीपचन्द्र ने सशपथ बयान तस्दीक करवाये की वसीयतकर्ता ने उक्त भूमि बाबत दिनांक 23.12.2013 को वसीयत करवायी थी उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हमारे सामने अंगूठा/हस्ताक्षर किये थे। वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवाश में मेरे सामने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान वसीयत पर लगाये। गवाहान के बयान बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा ढीलकी जाटान जमाबंदी सम्वत 2070-73 खाता संख्या 129 प्रदर्श-1, खाता संख 49 प्रदर्श-2, खाता संख्या 51 प्रदर्श-3, खाता संख्या 49 प्रदर्श-4, मृत्यु प्रमाण पत्र भूराराम प्रदर्श-5, वसीयतनामा दिनांक 23.12.23 प्रदर्श-6 ए, मूल वसीयतनामा प्रदर्श-6 बी, बैयनामा चित्रप्रति दिनांक 30.05.97, दिनांक 26.06.93, 25.02.20000, 22.04.68, 16.03.73, 12.05.69 आदि पेश किये जो की शामिल मिसल किये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है० भूमि में से 13633/17048 हिस्सा भूमि मृतक हेतराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड। वादी के दादा हेतराम पुत्र धन्नाराम का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2021 को हो चुका है वादी के दादा ने अपने जीवन काल में दिनांक 09.05.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है० भूमि में से हेतराम के नाम दर्ज 13633/17048 हिस्सा भूमि में से 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र कृष्ण कुमार, महेश कुमार, महेश कुमार पि० खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर के ब० हि० ब० एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र रामनिवास, शिशपाल पि० रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब० हि० ब० एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र अमित कुमार, सुमित

कुमार पि० झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब० हि० ब० एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र संजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर के एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र विकास कुमार पुत्र. भूपसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वादी के की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो वसीयत के गवाहान श्री रामसिंह पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर तहसील नोहर व खुबीराम पुत्र हेतराम जाति खाती निवासी लाखासर की उपस्थिति में उक्त भूमि बाबत दिनांक 09.05.2014 को वसीयत करवायी थी उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हमारे सामने अंगूठा/हस्ताक्षर किये थे। वसीयत के गवाहान के बयान लिये गये जो की बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 129/137 के खसरा नं. 98/2 की कुल 6.3880 है० भूमि में से 533/6388 हिस्सा व खाता संख्या 49/39 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 16.2420 है० भूमि में से 1/18 हिस्सा एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 51/46 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है० भूमि व खाता संख्या 49/44 के कुल खसरे 84 की कुल तादादी 16.1920 है० भूमि में से 1619/8096 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक भूराराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयत से साबित है कि भूराराम पुत्र मनीराम ने अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में दिनांक 09.05.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 265/366 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 17.0480 है० भूमि में से हेतराम के नाम दर्ज 13633/17048 हिस्सा भूमि में से 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र कृष्ण कुमार, महेश कुमार, महेश कुमार पि० खुबीराम जाति खाती निवासी लाखासर के ब० हि० ब० एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र रामनिवास, शिशपाल पि० रामसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब० हि० ब० एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र अमित कुमार, सुमित कुमार पि० झावर सिंह जाति खाती निवासी लाखासर के ब० हि० ब० एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र संजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी लाखासर के एवं 1/5 हिस्सा यानी 2.7266 है० अपने पौत्र विकास कुमार पुत्र. भूपसिंह जाति खाती निवासी लाखासर के पक्ष में वसीयत करवाई थी। वसीयत के गवाहन द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान तस्दीक करवायें की वसीयतकर्ता ने उक्त वसीयत हमारे सामने तहरीर करवायी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि वसीयतकर्ता की स्वयं की अर्जित भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु

प्रमाण पत्र से साबित है कि वसीयतकर्ता भूराराम का दिनांक 02.12.23 को देहांत हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 129/137 के खसरा नं. 98/2 की कुल 6.3880 है0 भूमि में से 533/6388 हिस्सा व खाता संख्या 49/39 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 16.2420 है0 भूमि में से 1/18 हिस्सा एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 51/46 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि व खाता संख्या 49/44 के कुल खसरे 84 की कुल तादादी 16.1920 है0 भूमि में से 1619/8096 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक भूराराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड, में भूराराम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त चारों खातों की वाद भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 881/2023
अनवान : -

1. रविन्द्र कुमार पुत्र दयाराम जाति सुथार (जांगिड़ ब्राह्मण) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 881 सन 2023 निर्णय दिनांक...५. 1. 2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं परोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 129/137 के खसरा नं. 98/2 की कुल 6.3880 है० भूमि में से 533/6388 हिस्सा व खाता संख्या 49/39 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 16.2420 है० भूमि में से 1/18 हिस्सा एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 51/46 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है० भूमि व खाता संख्या 49/44 के कुल खसरे 84 की कुल तादादी 16.1920 है० भूमि में से 1619/8096 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक भूराराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड, में भूराराम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त चारों खातों की वाद भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ५.1.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर